ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 197-198

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

बदलते परिवेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति

डॉ0 जेनुल आविदीन

मुरादाबाद (उ0प्र0), भारत

Received-27.05.2023, Revised-02.06.2023, Accepted-05.06.2023 E-mail: zc4964893@gmail.com

सारांशः "आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की सिथति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकतें है।" जवाहर लाल नेहरु किसी भी राष्ट्र के समाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता महिला और पुरुष दोनो समान रुप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करतें है और समाज को प्रगति की ओर ले जाते है दोनो की समान भूमिका को देखतें हुए यह अवश्यक है कि उन्हे शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाएँ, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमजोर होगा तो समाजिक प्रगति संभव नही हो पाएगी। परंतु देश में व्यावहारिकता शायद कुछ अलग ही है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46 फीसदी है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14 फीसदी है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है।[1]

कुंजीभूत शब्द– समाजिक, आर्थिक विकास, शिक्षा, समाजिक प्रगति, यावहारिकता, जनगणना, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता।

भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश– भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ें दर्शाते हैं कि राजस्थान (52.12प्रतिशत) और बिहार (51.50 प्रतिशत) में महिला शिक्षा की स्थित काफी खराब है। जनगनणा आँकड़ें यह भी बताते है कि देश की महिला साक्षरता दर (64.46 प्रतिशत) देश की कुल साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से भी कम है। बहुत बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच मे ही स्कूल छोड़ देती है। इसके अलावा कई लड़कियाँ रुढीवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण स्कूल नही जा पाती है। कई अध्यनों के अनुसार, भारत में 15–24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की वेरोजगारी दर 11.5 प्रतिशत है, जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 9.8 प्रतिशत है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण रिपोर्ट में कहा गया था कि 15–18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत स्कूली शिक्ष हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नही है और इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यो में संलग्न होती है या भीख माँगने जैसे कार्यो में आँकड़ें यह भी बताते है कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ है, जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ है।[2] उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है।

भारत में महिला शिक्षा का इतिहास– भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान सिथति का समझने के लिये आवश्यक है कि इतिहास में इसकी विकास यात्रा का भी समझा जाए। इसे मुख्यतः 3 भागों (1) प्राचिन वैदिक काल, (2) ब्रिटिश इंडिश और (3) स्वतंत्र भारत में विभाजित कर देखा जा सकता है।

प्राचिन वैदिक काल– भारत में महिला शिक्षा का इतिहास प्राचिन वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 3000 से अधिक वर्ष पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हे पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। वैदिक अवधारण के स्त्री शक्ति सिद्धान्त के अनुसार, महिलाओं की देवी के रुप में पूजा शुरु हुई –उदाहरण के लिये शिक्षा की देवी सरस्वती। वैदिक शास्त्र कहतें है कि "लड़को के साथ लड़कियों को उचित देखभाल के साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। "वैदिक साहित्य में उन महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्होने वैंदिक अध्ययन का रास्ता चुना।[3]

ब्रिटिश इंडिया– इस काल में पहिला ऑल –गर्ल्स बोर्डिग स्कूल वर्ष 1821 में दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली में स्थापित किया गया था। वर्ष 1840 तक स्कॉटिश चर्च सोसाइटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित छह स्कूल मौजूद थें जिनमें कुल 200 लड़कियों का नामांकन कराया गया था। वर्ष 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नि सावित्री बाई पश्चिम भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रणी थे। पश्चिम भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत पुणे गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई जिसे वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नि सावित्री बाई ने शुरु किया था। उल्लेखनीय है कि 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम वुड्स डिस्पैच ने वर्ष 1854 में महिलाओं कि शिक्षा और उनके लिये रोजगार की आवश्यकता को स्वीकार किया।[4] वर्ष 1879 में स्थापित बेथ्यून कॉलेज वर्तमान में एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है। गौरतलब है कि महिलाओं की समग्र साक्षरता दर वर्ष 1882 में 0.2 प्रतिशत से वढ़कर वर्ष 1947 में 6 प्रतिशत हो गई।

स्वतंत्र भारत– स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर काफी कम थी, जिसे सरकार द्वारा नजर अंदाज नही किया जा सकता था। इस तथ्य को ध्यान में रखतें हुए वर्ष 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिती का गठन किया, जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई। इन सिफारिशों का सार यह था की महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के समांतर पहुँचाया जाए। वर्ष 1959 में इसी विषय पर गठित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिये एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरनों में लागू करने की सिफारिश की। वर्ष 1964 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़ें पैमानें पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और वर्ष 1968 में भारत

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

सरकार से एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की सिफारिश की।

महिला शिक्षा की आवश्यकता– महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई समाजिक बुराईयों जैसे–दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़ीन आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है।[5] यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योकि अधिक–से–अधिक शिक्षित महिलाएँ देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है। इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि महिलाऐ जितनी अधिक शिक्षित होती है, उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषण अध ाार मिलता है। इसके अलावा कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा उन्हे परिवर्तन के एजेंट के रुप में उभरने में सक्षम बनाती है।

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ– भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चहारदीवार तक सीमित कर दिया जाता है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नही किया जा सकता कि आज देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हम दुनिया की सुपर पॉवर बनने के लिये तेजी से प्रगति कर रहें है, परंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रुप में खड़ी है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएँ भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं।

समाज में यह मिथ काफी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिये महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफी अंतर आता है। देश में महिला सुरक्षा अभी एक बड़ा मुददा बना हुआ है। जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते है। हालाँकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया गया है, परंतु वे सभी प्रयास इस मुद्दें को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं।

महिला शिक्षा हेतु सरकार का प्रयास– बेटी बचाओं बेटी पढाओं की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटतें बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों का लागू करने और लड़कियों के लिये शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गए है।

कस्तूरवा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में विशेष रुप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिये प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी। महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा के सुधार व उन्हे सशक्त करने हेतु की गई थी। यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा महिला शिक्षा के उत्थान की दिशा में झारखंड भी एक बड़ी पहल की है। झारखंड स्कूल औफ एजुकेशन ने कक्षा 9 से 12 वीं तक की सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और नोटबुक बाँटनें का फैसला किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. व्होरा, आशारानी : भारतीय नारी अस्मिता और अधिकारी, नेशनल पब्लिकेशन, दिल्ली– 1986 पृ 0155–160.
2. राधा कुमारी : स्त्री संघर्ष का इतिहास , वाणी प्रकाशन नई दिल्ली पृ 57.
3. व्होरा, आशारानी : औरत कल , आज और कल , कल्याणी शिक्षा परिषद् दिल्ली 1986.
4. सिंह, वी. एन., जनमेजय , आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, दिल्ली 2012.
5. शर्मा, राधाकृष्ण , नेशनिलज्म , सोशल रिफार्म एंड इंडियन वुमन, पृष्ठ 80 – 81.

*****